BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 989 of 2019

IN THE MATTER OF:

Ved Prakash Agarwal ... Applicant

-VERSUS-

Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corpn. & Ors. ...Respondents

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page
1	Compliance Report on behalf of Municipal Corporation, Ghaziabad	

Through

Yagyawalkya Singh
Advocate
Office-A-131 sector 46 Noida
7838848157
yagyawalkyasingh@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 989 of 2019

IN THE MATTER OF:

Ved Prakash Agarwal ... Applicant

-VERSUS-

Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corpn. & Ors. ...Respondents

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE MUNICIPAL CORPORATION, GHAZIABAD

1. This report is being filed by the undersigned Posted as City Health Officer Municipal Corporation, Ghaziabad, Uttar Pradesh in compliance of the order dated 24.01.2020 passed by this Hon'ble Tribunal.

2. That in pursuant of the order dated 24.01.2020 passed by this Hon'ble Tribunal:

"3. From the above, it is clear that there is blatant violation of law which needs to be checked forthwith by stopping polluting activities and recovering compensation from polluters, apart from any other 4 statutory action. Beyond issuing notice, there is no information about any other action.

4. Let further action be now taken and Let further action be now taken and a report furnished by UP State PCB and Ghaziabad

Nagar Nigam within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in."

(Annexure 1)

3. That it is most respectfully submitted that the Respondent Nagar Nigam Ghaziabad lodged FIR on 03.12.2019 in P.S. Kavinagar, Ghaziabad u/s 2 & 3 of Prevention of Damage to Public Property Act, 1984, S. 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and u/s 278 of the Indian Penal Code, 1860.

4. That it is further submitted that a Letter dated 04.02.2020 by the undersigned has been sent to SHO, Kavinagar, drawing attention to the lack of effective proceeding in the matter.

5. That it is humbly submitted that as per GO CS/89(1)9-A-3-2003-62WRIT/2003 dated 05.09.2003, that it is within the jurisdiction of the Development Authorities and Awas Vikas Parishad to take action in case of commercial activities being conducted in residential areas.

6. That it is respectfully submitted that environment and public health are of the prime concerns to the Corporation and it is working with utmost sincerity towards providing healthy environment to citizens in pursuance to the right to life as enshrined in Article 21 of the Constitution of India.

7. That it is submitted that the Corporation is fully aware of its social responsibility and committed to the cause of preservation of environment and shall take all necessary measures for the implementation of any order that may be passed by this Hon'ble Tribunal in letter and spirit.

7. That it is humbly prayed that this Compliance Report may kindly be taken on record.

Through

Yagyawalkya Singh

Advocate

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 989 of 2019

IN THE MATTER OF:
Ved Prakash Agarwal ... Applicant

-VERSUS-
Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corpn. & Ors. ...Respondents

AFFIDAVIT

I, Mithlesh Kumar S/O Sh. Bhushan Singh aged 42 years, presently posted as City Health Officer, present at New Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am authorized to represent Municipal Corporation, Ghaziabad in the above-mentioned case and I am well conversant with the facts and circumstances of the case and as such competent to swear this affidavit in my official capacity.

2. That I have read and understood the contents of the present Affidavit and say that the contents are true and correct as per the official record available with my office and my belief.

3. That the contents of the Affidavit are drafted under my instructions and I have understood the same.

Deponent

VERIFICATION

I, the above-named deponent, verify that the contents of this affidavit are true and correct as per my belief and the official record available with my office, nothing material has been concealed there from.

Verified at New Delhi on this 12 day of February, 2020.

Deponent

Annexure 1

Item No. 03

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 989/2019

(With report dated 23.01.2020)

Ved Prakash Aggrawal Applicant(s)

Versus

Municipal Commissioner, Nagar Nigam Ghaziabad Respondent(s)

Date of hearing: 24.01.2020

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE S.P WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER
HON'BLE MR. SIDDHANTA DAS, EXPERT MEMBER

For Respondent(s): Mr. Daleep Dhyani, Advocate for UPPCB
Mr. Mukesh Kumar, Advocate for CPCB

ORDER

1. A factual and action taken report was sought from Central Pollution Control Board (CPCB), Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPsPCB), District Magistrate, Ghaziabad and the Municipal Commissioner, Ghaziabad with reference to the allegation of illegal operation of dairy farms in residential colony of Chiranjiv Vihar, Ghaziabad. According to the applicant, operation of such dairies was resulting in degradation of environment and causing harm to the public health.

Scanned by CamScanner

2. Accordingly, a joint inspection report has been furnished by the CPCB on 23.01.2020 acknowledging illegal operation of dairy farms with no safeguards for disposal of waste. The water samples have not been found to be meeting the standards. Observations from the report are:

> ***"4.0 Wastewater/sewage quality:***
>
> *It was observed that the untreated wastewater from households as well as dairy farms of Chiranhiv Vihar finds its way to a drain located between railway line and Sectors-2 & 3, Chiranjiv Vihar, which ultimately meets the River Hindon. During joint inspection, grab samples of wastewater were collected from two locations of drain to assess the quality. The quality of waste water is tabulated as follow:*

Sl. No.	Parameters	Upstream of drain (Latitude: 28.663158 N, Longitude: 77.467578 E)	Downstream of drain (Latitude:28.664547N, Longitude:77.469693E)	The Environmental (Protection) Rules, 1986, Schedule-VI: General Standards for Discharge of Environmental Pollutants in Public Sewers
1.	pH	7.15	7.04	5.5-9.0
2.	COD, mg/l	284	364	-
3.	BOD, mg/l	81	72	350
4.	TSS, mg/l	144	133	600
5.	TDS, mg/l	644	508	-
6.	Chloride, mg /l	79	98	-
7.	NO_3-N, mg/l	2.15	1.96	-

NATIONAL GREEN TRIBUNAL NEW DELHI

Scanned by CamScanner

8.	Sulfate,mg/l	55	64	-
9.	PO_4-P,mg-l	3.2	2.9	-
10.	Total Coliform, MPN/100ml	14 X 10^7	33 X 10^6	-
11.	Fecal Coliform,MPN/100ml	11 X 10^7	23 X 10^6	-
12.	Fecal Streptococci, MPN/100ml	23 X 10^6	33 X 10^6	-

It should be ensured by the local authorities that untreated wastewater to be properly treated before disposing.[]

5.0 Recommendations:

As the dairy farms are running, illegally, without obtaining any license to operate from local authorizes, the Nagar Nigam should carry out extensive survey of the area and ensure immediate closure of the dairy farms being operated in the residential colonies of Chiranjiv vihar.

6.0 Action taken:

The Nagar Nigam, Ghaziabad have been issuing notices to the dairy operators to shut down their dairies operating in Chiranjiv Vihar and also, imposing monetary penalties for illegal operation of dairy farms. A list of such dairies which were issued notices/penalties is provided at Annexure-II. The Nagar Nigam, Ghaziabad has also lodged FIR on 3/12/2019, to the Police Station, Kavi Nagar for necessary actions against the nine dairy farm operators under the Public Property Damage Control Act, 1984 and Air (Prevention and Control) Act, 1981 (Annexure-III)."

3. From the above, it is clear that there is blatant violation of law which needs to be checked forthwith by stopping polluting activities and recovering compensation from polluters, apart from any other

Scanned by CamScanner

statutory action. Beyond issuing notice, there is no information about any other action.

4. Let further action be now taken and a report furnished by UP State PCB and Ghaziabad Nagar Nigam within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The SPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

A copy of this order be sent to UP State PCB and Ghaziabad Nagar Nigam by e-mail.

List for further consideration on 09.04.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P Wangdi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

Siddhanta Das, EM

January 24, 2020
O.A No. 989/2019
A

Scanned by CamScanner

कोर्ट केस/अति–आवश्यक/समयबद्ध

नगर निगम गाजियाबाद

(I.S.O.9001,14001 एवं 18001 प्रमाणित संस्था)

प्रेषक,

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम गाजियाबाद।

प्रेषित,

थानाध्यक्ष
थाना कविनगर, गाजियाबाद।

पत्रांक: 1467/स्वा0/19–20 दिनांक:-04/02/2020

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–989/2019 वेदप्रकाश अग्रवाल बनाम नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम के सम्बन्ध में चिरंजीव विहार स्थित अवैध डेरियों के संचालन की रोकथाम विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक थाना कविनगर में एफ0आई0आर0 संख्या–(प्र.सू.रि.स.) 2192 दिनांक 03.12.2019 समय 17:30 बजे पर सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण 1984 की धारा 2, धारा 3 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 व भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 278 के अर्न्तगत 09 लोगो के विरूद्ध अवैध डेरी संचालन के सन्दर्भ में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। परन्तु उक्त सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाहीं नहीं की गयी। जिससे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निम्नवत निर्देशित किया गया है। "As the dairy farms are running, illegally, without, obtaining any license to operate from local authorizes, the Nagar Nigam should carry out extensive survey of the area and ensure immediate closure of the dairy farms being operated in the residential colonies of Chiranjiv Vihar".

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशो के क्रम में आपके विभाग द्वारा अवैध डेरी संचालकों के विरूद्ध दर्ज की गयी प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुये डेरी स्वामियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाहीं करते हुये कृत–कार्यवाही की प्रति कार्यालय को भी प्राप्त कराने का कष्ट करें ताकि इस हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक–यथोक्त।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

प्रतिलिपि–कृपया, निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. नगर आयुक्त महोदय।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
3. अपर नगर आयुक्त/प्रभारी स्वास्थ्य।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, थाना कविनगर, गाजियाबाद।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।
6. विधि विभाग।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

Scanned by CamScanner

Annexure -2.

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत आँक फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दं.प्र.संहिता के तहत)

1. District (जिला): गाजियाबाद — P.S. (थाना): कवि नगर — Year (वर्ष): 2019
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 2192 — Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय) 03/12/2019 17:30 बजे

2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) — Sections (धारा(एँ))

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	2
2	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
3	वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं कौशदटी) अधिनियम, 1981	37
4	भा.दं.सं. 1860	278

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): — Date From (दिनांक से): — Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): — Time From (समय से): — Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 03/12/2019 — Time (समय): 17:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 058 — Date & Time (दिनांक और समय): 03/12/2019 17:30 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पूर्व 3 किमी — Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): सी0 2 व 3 शिवमोय विहार
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): — District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): श्री महेन्द्र पाल
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979 — (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.): — Date of Issue (जारी करने की तिथि):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): — Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id.Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कार्यवाहक सफाई नायक कविनगर जोन,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	कार्यवाहक सफाई नायक कविनगर जोन,कवि नगर,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश,भारत

OPPO F11 Pro

Scanned by CamScanner

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) / फीट (ft.,in.,)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	पुरुष					
4	पुरुष					
5	पुरुष					
6	पुरुष					
7	पुरुष					
8	पुरुष					
9	पुरुष					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखे)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Place Of (का स्थान) Leucoderma (ल्युकोडर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

OPPO F11 Pro
Scanned by CamScanner

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन)
Accused More Than (अभियुक्त आरोपी एक से अधिक हो तो भरें)

S.No (क्र. सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	दीपक		पिता का नाम : नत्थीराम	1. B-2 सै0-02 चिरंजीव विहार, अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत
2	इन्द्र मोहन शर्मा		पिता का नाम : रामनाथ शर्मा	1. A-03 सै0-02 चिरंजीव विहार, अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत
3	रण सिंह		पिता का नाम : कमल सिंह पाल	1. B-1 सै0-02 चिरंजीव विहार, अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत
4	मुन्ना		पिता का नाम : श्री नाथन	1. G-4 सै0-02 चिरंजीव विहार, अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत
5	हसराज		पिता का नाम : श्री रामधन सिंह	1. A-127 सै0-02 चिरंजीव विहार, अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत
6	जितेन पाल		पिता का नाम : श्री रामधन	1. बी 127 सै0 -2 चिरंजीव विहार, अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत
7	हरिकिशन		पिता का नाम : हरचरण सिंह	1. 123 सै0-2 चिरंजीव विहार, अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत
8	जोगेन्द्र		पिता का नाम : जयप्रकाश	1. ए-126 सै03 चिरंजीव विहार अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत
9	हरीश		पिता का नाम : धरमवीर सिंह	1. 88 सै0-2 चिरंजीव विहार, अभी ग्राम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देने में देर लगने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र. सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र. सं.) | UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर टाईपशुदा - सेवा में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कविनगर गाजियाबाद। विषय- कविनगर जोन में स्थित डेयरियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में। महोदय अवगत कराना है कि कविनगर जोन के उन्नति आने वाले समस्त वार्डो में स्थित अवैध डेरी संचालको की संलग्न सूची के अनुसार डेरी मालिको द्वारा अपने जानवरों का गोबर सरकारी नाला/नाली/सीवर में बहाया जा रहा है, जिससे आवासीय क्षेत्र में गंदा, जल, वायु प्रदूषण फैल रहा है तथा नाला/नाली/सीवर अवरुद्ध हो रहे है, एवं कारोबार किया जा रहा है। संलग्न सूची के अनुसार डेरी मालिको द्वारा अपने जानवरों का गोबर सरकारी नाला/नाली/सीवर में सरकारी सम्पत्ति को भी क्षति पहुँचायी जा रही है, साथ ही नाला/नाली/सीवर में हानिकारक गैसे उत्पन्न हो रही है। जो कि पर्यावरण के लिये घातक है, जिससे यहां के निवासियो को स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस प्रकार वातावरण को दूषित कर प्रदूषण फैलाने वाले के विरुद्ध गठ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी) का कार्यवाही हेतु स्पष्ट निर्देश है। अतः उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध Prevention And Control Act-1981 की धारा (ए) एव Public Property Damage Control Act-1981 की धारा 2/3 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही करने का कष्ट करें। 40 वर्ष मो0 8212950559,8860335645 हस्ता0 हिन्दी महेन्द्र पाल महेन्द्र पाल का0सफाई नामक नगर निगम गाजियाबाद 03/12/19 कार्यालय कविनगर जोन, नगर निगम गाजियाबाद चिरंजीव विहार से0-02 व 03 ग्राई-56 मे चल रही अवैध डेयरी वालो के नाम की सूची क्रम0सं0 डेयरी संचालक का नाम पिता का नाम पता 1 दीपक धरमवीर B-2 से0-02 चिरंजीव विहार 2 इन्द मोहन शर्मा रामनाथ शर्मा A-03 से0-02 चिरंजीव विहार 3 रण सिंह कमल सिंह पाल B-1 से0-02 चिरंजीव

OPPO F11 Pro

Scanned by CamScanner

विहार 4 सुन्दर पीरपाल G-4 गै0-02 चित्रजीव विहार 5 हंसराज श्री गिरिराज सिंह A-127 गै0-02 चित्रजीव विहार 6 चिरंजी पाल रामपाल B-127 गै0-03 चित्रजीव विहार 7 हरिकिशन होश्यार सिंह 123 गै0-03 चित्रजीव विहार 8 जोगेन्द्र जयप्रकाश A-128 गै0-03 चित्रजीव विहार 9 हरिन्दे बहादुर सिंह 29 गै0-02 चित्रजीव विहार हस्ता0 हिन्दी महेन्द्र पाल (महेन्द्र पाल) कार्यवाहक सफाई नायक जोनिनगर जोन नोट: मै 20-क0 364 रामचिनाही धर्मा प्रमाणित कराता हूँ कि गै0 आम में बनाया मेरे द्वारा व तहरीर की नक्ल कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द क0क0 1225 मन्नू द्वारा अंकित की गयी। मंडित विवरण अधोलिखित द्वारा अवैध डेरी संचालित कर गाय, भैंस, बछड़ा आदि का पालन करना व जनपदों का गोबर सरकारी नाला/नाली/सीवर में बहाने जिससे आवासीय क्षेत्र में गंदा जल, वायु प्रदूषण फैलने तथा नाली / सीवर अवरुद्ध होने, हानिकारक गैस उत्पन्न होने जो पर्यावरण के लिये घातक होने तथा नियासियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों का सामना करना तथा पर्यावरण को प्रदूषित करना।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item - or (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तीका मद सं. 2 में वर्णनेय धारा के तहत है

(1) Registered the case and took up the investigation;

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): KAPIL KUMAR Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No.(से.):0152291165 to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया

(4) Transferred to P.S. District

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को सावधिकी पढ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक R.O.A.C.(आर. ओ. ए. सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान).

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम): PS KAVI NAGAR
Rank(पद): I (Inspector)
No.(से.): 9454403416

Scanned by CamScanner

Jul. 21 2004 02:19PM P1

(1)

शीर्षप्राथमिकता / कोर्ट केस अनुपालन

संख्या–रा.ए.प्रा.–09(1)/ 9–आ–3–2003–02रिट/ 2003

1– अंशुमन प्रताप सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–आवास आयुक्त,
एवम्आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
[illegible]

3–नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

कृपया निम्नलिखित अनुपालन ...

विषयः महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय को लेकर श्री [illegible] द्वारा [illegible] प्रस्तुत [illegible] में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.07.2003 को दिए गये निर्णय के माध्यम से न्यायालय द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू–उपयोग में चल रही व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु आदेश दिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रेषित करते हुए निम्नानुसार प्रभावी कार्यवाही करने हेतु शासनादेश संख्या–रा.ए.प्रा.–09/ 9–आ–3–2003– 02रिट/ 2003 दिनांक 5 सितम्बर, 2003 निर्गमित किया गया है।

2– माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विकास प्राधिकरणों / विनियमित क्षेत्रों में [illegible] द्वारा एवं निगम परिषद [illegible] द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र की महायोजना / जोनल रेगुलेशन्स / सेक्टर प्लान / सी–आउट प्लान में विभिन्न भू–उपयोग / [illegible] में निरूपित के विरुद्ध किये जा रहे उपयोग पर तत्काल प्रभावी रोक लगाने का कष्ट करें तथा नियम विरुद्ध उपयोग / निर्माण कार्य को उसके प्रारम्भिक चरण में ही तत्काल रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3– यह भी उल्लेखनीय है कि निर्धारित रूप से विकसित कालोनियों में भूमि / भवन के अवैध उपयोग के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या–2444/ 9–आ–3–2001, दिनांक 15 जून, 2001 तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित / अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश संख्या– 2032/ 9–आ–1–2003, दिनांक 04–4–2003 द्वारा आवास एवं [illegible]/

\\Vss\Document Handling\...

E-4

Scanned by CamScanner

-2-

[illegible] विकास प्राधिकरणों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये
शासनादेश दिनांक 04-4-2003 में महायोजना/ ले-आउट प्लान में निर्धारित
लों के विपरीत किये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु
भी निर्धारित की गयी है। कृपया उक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन
त किया जाय।

कार्यवाही/प्रचार आदि कराने हेतु सभी प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र, अपने क्षेत्र
क्षेत्र जोन में बांटकर, प्रत्येक जोन हेतु एक स्पेशल यूनिट (-दो-) का गठन
उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षी/ निरीक्षण कर प्रत्येक माह में अपनी रिपोर्ट
ा प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
उक्त कार्यवाही में सम्बन्धित जोन की स्पेशल इकाई के सम्बन्धित अधिकारियों/
यों का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा तथा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की
ा का समस्त उत्तरदायित्व उक्त इकाई के प्रभारी अधिकारी का होगा।
माo न्यायालय के आदेश के नियमानुसार प्रभावी अनुपालन हेतु सभी नियमन
श/ विनियमित क्षेत्र एवं उ0प्र0 आवास एवं योजना अधिकरण अधिनियम
चलाकर, उक्त अभियान की कार्यवाही की आख्या सम्बन्धित अधिकरण के
धिकारी को सीधे तथा समेकित अनुपालन आख्या शासन को प्रत्येक तीन
प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट

भवदीय,

(अखण्ड प्रताप सिंह)
मुख्य सचिव।

सं विनोद तदैव।

श्री ओ0एन0 खण्डेलवाल, एम0जी0एस0 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय
इलाहाबाद के पत्र संख्या-सी0एम0(आर0सी0)/ 140/ - 2003 दिनांक 14.0.
003 के संदर्भ में शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 की प्रति के साथ
संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
अधिशासी निदेशक आवास बन्धु उत्तर प्रदेश
गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओ.एस.सिंह)
सचिव।

Scanned by CamScanner